



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26417 वर्ष 2026

पवन पांडे

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : रघुवंश मिश्रा

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रघुवंश मिश्रा और राज्य की ओर से विद्वान एजीए श्री शत्रुघ्न यादव की बात सुनी।
- यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 07/2026, धारा 103(1), 190, 238(ए), 140(1), 191(2), 191(3) और 61(2) बीएनएस और धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम के तहत पुलिस स्टेशन सजेती, जिला कानपुर नगर में मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अज्ञात शव की बरामदगी के बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन साचेंडी में 7.12.2025 को एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में मामला 7.1.2026 को पुलिस स्टेशन सजेती में स्थानांतरित कर दिया गया।
- उन्होंने आगे बताया कि जांच के दौरान मृतक के पिता, छवीनाथ यादव ने शव की पहचान की थी और 3.1.2026 को उन्होंने एक आवेदन दिया था जिसमें नीतू बाबू ने उन्हें 3.12.2025 को सूचित किया था कि 29.11.2025 को आवेदक ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर मृतक की पिटाई की थी। इसके बाद 3.1.2026 को जांच अधिकारी ने नीतू बाबू का बयान दर्ज किया और उन्होंने मृतक के पिता द्वारा दिए गए आवेदन के विवरण को दोहराया। इसके बाद जांच अधिकारी ने दो गवाहों के बयान दर्ज किए और उन्होंने आवेदक के अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य देने का प्रयास किया। इसके बाद आवेदक को गिरफ्तार कर लिया गया और अभियोजन पक्ष के अनुसार उसे रिमांड पर लेने के बाद, उसके द्वारा मृतक की एक जली हुई कमीज और कथित तौर पर इस अपराध में इस्तेमाल की गई एक देसी पिस्तौल बरामद की गई।
- उन्होंने आगे कहा कि उपरोक्त साक्ष्य के अलावा आवेदक के विरुद्ध रिकॉर्ड में कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।
- उन्होंने आगे यह भी कहा कि उपरोक्त सभी साक्ष्य शव बरामदगी की तारीख से एक महीने बाद अभियोजन पक्ष द्वारा गढ़े गए हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि मुखबिर के आवेदन से स्पष्ट है कि 3.12.2025 को नीतू बाबू ने उन्हें आवेदक और एक अन्य सह-आरोपी द्वारा किए गए हमले के बारे में सूचित किया था, लेकिन इसके बावजूद वह एक महीने से अधिक समय तक चुप रहे और इसलिए नीतू बाबू द्वारा दी गई जानकारी प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होती है।

8. उन्होंने आगे कहा कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस और स्वीकार्य साक्ष्य रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है तथा मामले के तथ्यों को देखते हुए उपरोक्त सभी कथित साक्ष्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होते हैं और केवल ऐसे कमजोर साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है।

9. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आज तक कथित तौर पर बरामद देसी पिस्तौल को इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सका है।

10. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 19.1.2026 से जेल में है।

11. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है। वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए अन्य तर्क का खंडन नहीं कर सके।

12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है।

13. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और मृतक के शव की कथित बरामदगी की तारीख से एक महीने बाद आवेदक का नाम इस मामले में बहुत देर से सामने आया है।

14. इसके अलावा, मृतक के पिता द्वारा दायर आवेदन से भी यह पता चलता है कि लगभग एक महीने पहले एक गवाह ने उन्हें सूचित किया था कि आवेदक और तीन अन्य लोगों ने मृतक पर हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद मृतक के पिता ने यह जानकारी पहले नहीं दी थी, इसलिए दिनांक 3.1.2026 का आवेदन प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होता है।

15. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार नीतू बाबू के बयान के अतिरिक्त, दो गवाहों ने भी आवेदक के अंतिम दर्शन के संबंध में साक्ष्य दिए, लेकिन चूंकि यह साक्ष्य भी मृतक के शव की बरामदगी की तारीख से एक महीने से अधिक समय बाद सामने आया, इसलिए प्रथम दृष्टया यह साक्ष्य भी संदिग्ध प्रतीत होता है।

16. इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक को लगभग तीन सप्ताह बाद गिरफ्तार किया गया और उसे रिमांड पर लेने के बाद मृतक की जली हुई कमीज और एक देसी पिस्तौल, जिसका कथित तौर पर आवेदक ने इस अपराध में इस्तेमाल किया था, उसके द्वारा बताए जाने पर बरामद की गई, लेकिन प्रथम दृष्टया कथित बरामदगी भी संदिग्ध प्रतीत होती है।

17. इसके अलावा, इस न्यायालय के विचार में, किसी भी पुख्ता सबूत के अभाव में, केवल उपरोक्त बरामदगी के आधार पर प्रथम दृष्टया इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की है, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आज तक कथित बरामद देसी पिस्तौल को इस अपराध से नहीं जोड़ा जा सका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18. इसके अलावा, वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का एक अन्य मामले में भी आपराधिक इतिहास है, जिसका इस जमानत याचिका में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वह मामला आईपीसी की धारा 323 से संबंधित एक छोटे अपराध से जुड़ा है। इसलिए, इस न्यायालय के अनुसार, केवल इसी आधार पर आवेदक की जमानत याचिका को रोकना उचित नहीं है।

19. इसके अलावा, वर्तमान मामले में आवेदक 19.1.2026 से जेल में है, यानी पिछले छह महीने से अधिक समय से।

20. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

21. तदनुसार, मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, तत्काल जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

22. आवेदक- पवन पांडे को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

23. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6 अगस्त, 2026

(न्यायमूर्ति समीर जैन)